रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2001/चैत्र 26, 1923

No. 239] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2001/CHAITRA 26, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2001

का.आ. 331 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रशासक (चाहे उन्हें प्रशासक कहा जाता हो अथवा उप राज्यपाल), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक, अपने संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के तहत नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करेंगे :

अनुसूची

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शक्तियां/कृत्य
1. चंडीगढ़	धारा 8 की उपधारा (5) तथा धारा 13 की उप-धारा (3), (4) और (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी शक्तियां एवं कृत्य
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	धारा 8 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी शक्तियां एवं कृत्य

[फा. सं. 11030/5/2000-यूटीएल]

पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

1123 GI/2001

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2001

S.O. 331(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of the Union territories of Chandigarh and N.C.T. of Delhi (whether called an Administrator or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of State Government as mentioned in the Schedule hereunder under Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) within their respective territorial jurisdiction :—

SCHEDULE

Name of Union Territory	Powers/Functions
1. Chandigarh	All powers and functions of the State Government under sub-section (5) of section 8 and sub-sections (3), (4) and (5) of section 13.
2. National Capital Territory of Delhi.	All powers and functions of the State Government under sub-section (5) of section 8.

[F. No. 11030/5/2000-UTL]

P.K. JALALI, Jt. Secy.